

भाग ख पूंजी प्राप्ति

पूंजी प्राप्ति के अनुमान

निम्न विवरण में पूंजी प्राप्ति के अनुमानों का मोटे तौर पर श्रेणीवार-ऋण-भिन और ऋण प्राप्ति दोनों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है। इसके अतिरिक्त बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के बीच होने वाली घट-बढ़ का स्पष्टीकरण देने वाली संक्षिप्त टिप्पणियों के साथ ब्यौरा और सं.अ. 2008-09 और बजट अनुमान 2009-10 के बीच अंतर इस विवरण के बाद की टिप्पणियों में दिया गया है। विवरण में शामिल उधार और अन्य ऋण वापसी-अदायगियों को घटाकर दिये गये हैं।

(करोड़ रुपए)

	बजट 2008-09	संशोधित 2008-09	बजट 2009-10
क. ऋण-भिन प्राप्ति			
1. ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां	4497.51	9698.29	9724.84
2. विविध पूंजी प्राप्ति	10165.00	2566.51	1120.00
ख. ऋण प्राप्ति			
3. बाजार ऋण	100571.00	261972.00	308647.00
4. अल्पावधि उधार	12429.00	57500.00	...
5. विदेशी सहायता (निवल)	10989.27	9603.20	16046.57
6. लघु बचतों के एवज में जारी प्रतिभूतियां	9872.52	1323.45	13255.52
7. राज्य भविष्य निधियां (निवल)	4800.00	4800.00	5000.00
8. अन्य प्राप्ति (निवल)	(-) 12600.22	(-) 38667.57	(-) 10113.50
ग. जोड़-पूँजीगत प्राप्ति	140724.08	338779.00	343680.43
9. नकद शेष का आहरण द्वारा कमी	7224.34	29984.00	...
घ. राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के सम्बन्ध में ऋण प्राप्ति	133285.91	326515.08	332835.59
ड. एमएसएस के अन्तर्गत प्राप्ति (निवल)	29806.00	(-) 81780.99	(-) 48036.00

1. ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल सहित) और विदेशी सरकारों तथा सार्वजनिक उपक्रम/सांविधिक निकायों सहित अन्य पक्षों को दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियों का अनुमान इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए)

	बजट 2008-09	संशोधित 2008-09	बजट 2009-10
वसूलियां:			
(i) राज्य सरकारों से	2563.20	8125.68	8049.21
(ii) संघ राज्य क्षेत्रों से (विधानमंडल सहित)	102.94	111.48	111.49
(iii) अन्य	1831.37	1461.13	1564.19
(क) विदेशी सरकारों से	97.63	252.20	257.55
(ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, सांविधिक निकायों आदि से	1733.74	1208.93	1306.64
जोड़-ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां	4497.51	9698.29	9724.89
(क) राज्य सरकारों से वसूलियों में अल्पावधि अर्थोपाय अग्रिम सम्मिलित नहीं हैं	1000.00	1000.00	1000.00
(ख) सरकारी कर्मचारियों आदि से की गयी वसूलियों, जिन्हें व्यय बजट में से घटाया जाता है, को छोड़कर अन्यो से की गयी वसूलियां	495.00	495.00	495.00

(i) **राज्य सरकारों से वसूलियां:** राज्य सरकारों से प्राप्ति का अनुमान सं.अ. 2008-09 में 8125.68 करोड़ रुपए तथा ब.अ. 2009-10 में 8049.21 करोड़ रुपए लगाया गया है। सं.अ. 2008-09 और ब.अ. 2009-10 के दौरान प्राप्ति में राज्य सरकारों की ऋण माफी शामिल है जिसे समतुल्य व्यय से प्रतिसंतुलित किया जाएगा।

(ii) **संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल सहित) से वसूलियां:** ये वसूलियां संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को दिए गए ऋणों के संबंध में हैं।

(iii) **अन्यों द्वारा वापसी-अदायगी:** इनमें राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को छोड़कर अन्य पक्षों, अर्थात् विदेशी सरकारों, सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों तथा वित्तीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं, पत्तन न्यासों, निजी क्षेत्र की कम्पनियों और संस्थाओं, सहकारी समितियों आदि द्वारा ऋणों की वापसी अदायगियां शामिल हैं। इनका विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए)

	बजट 2008-09	संशोधित 2008-09	बजट 2009-10
(क) विदेशी सरकारें	97.63	252.20	257.55
(ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यम, सांविधिक निकाय, आदि	1733.74	1208.93	1306.64
जोड़	1831.37	1461.13	1564.19

2. विविध पूंजी प्राप्तियां

सं.अ. 2008-09 में 1651 करोड़ रुपए की विनिवेश प्राप्तिओं का ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी), और नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) में इक्विटी के एक लघु भाग के विनिवेश के कारण अनुमान लगाया गया है। राष्ट्रीय निवेश निधि में इस राशि के अन्तरण का प्रावधान विनिवेश विभाग से संबंधित मांग संख्या 44 में किया गया है। सरकार ने एक "राष्ट्रीय निवेश निधि" (एमआईएफ) की स्थापना की है जिसमें चुनिंदा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से प्राप्त आय को सरणीकृत किया जाएगा। एमआईएफ को भारत की समेकित निधि के बाहर रखा जाएगा और चुनिंदा सरकारी क्षेत्र के म्युचुअल फंडों द्वारा इसका व्यावसायिक रूप से प्रबंधन किया जाएगा ताकि इसकी मूलभूत निधि को निःशेष किए बिना सतत प्रतिफल प्राप्त हो सके। लेनदेनों का लेखा-जोखा इस प्रकार रखा गया कि इन्हें घाटा तटस्थ बनाया जा सके। सं.अ. 2008-09 में सूटी को 899 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है।

इसके सं.अ. 2008-09 में अतिरिक्त 502.51 करोड़ रुपए की प्राप्ति गेल (242.47 करोड़ रुपए) और एनएमडीसी (260.04 करोड़ रुपए) द्वारा जारी बोनस शेयरों के कारण है।

ब.अ. 2009-10 में 1120 करोड़ रुपए की विनिवेश प्राप्तिओं का अनुमान लगाया गया है। रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवाएं कोचीन शिपयार्ड लि. टेलीकम्युनिकेशन कंसलटेंट इंडिया लि., मैगनीज कोर इंडिया लि., राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. और सतलुज जल विद्युत निगम लि. में इक्विटी के एक लघु भाग का विनिवेश शामिल है। इस राशि के राष्ट्रीय निवेश निधि में अन्तरण का प्रावधान विनिवेश विभाग से संबंधित मांग सं. 44 में किया गया है।

3. बाजार ऋण:

भारत सरकार वर्ष 1992-93 में शुरू की गई दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी द्वारा बिक्री की योजना के अंतर्गत बाजार ऋण जुटाती है। इन नीलामियों का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्र सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में किया जाता है। यह योजना विशिष्ट ब्याज दरों पर ऋण जारी करके बाजार ऋण जुटाने की पहले की चल रही प्रथा से अलग थी। योजना के तहत नियत कूपन प्रतिभूतियों के अलावा, सरकार फ्लोटिंग रेट बांड (एफआरबी) जिनपर अर्ध वार्षिक आधार पर देय कूपन दर को नीलामी में निर्धारित विस्तार 'स्प्रेड' को जोड़कर वार्षिक आधार पर पुनः निर्धारित किया जाता है, जो परिवर्तनीय आधार दर पर विगत तीन नीलामियों में 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों के 'कट आफ' मूल्यों पर अंतर्निहित प्राप्तिओं के औसत के रूप में परिकलित की जाती है; जीरो कूपन बांड, जिनपर कोई कूपन नहीं होता लेकिन ये कटौती मूल्य पर बेचे जाते हैं; पूंजी सूचकांकित बांड, जो मूल राशि में स्फीति-सूचकांकन प्रदान करते हैं, भी जारी करती है। वर्ष 2002-03 से केंद्र सरकार अपनी महत्वपूर्ण उधार संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर अर्ध-वार्षिक सांकेतिक बाजार उधार कैलेन्डर की घोषणा करती रही है।

दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से केंद्र सरकार के निवल बाजार उधारों का सं.अ. 261972 करोड़ रुपए है। 44028.22 करोड़ रुपए की राशि के भुगतान को हिसाब में लेने पर सकल बाजार उधार का सं.अ. 44028.22 करोड़ रुपए निर्धारित हुआ है। सकल बाजार उधार का सं.अ. 306000.22 करोड़ रुपए है।

वर्ष 2009-10 में दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से केंद्र सरकार को निवल बाजार उधारों का अनुमान 308647 करोड़ रुपए लगाया गया है। ब.अ. 2009-10 में सकल बाजार उधारों की राशि 361782.79 करोड़ रुपए रखी है जिसमें 53135.79 करोड़ रुपए का अनुसूचित भुगतान हिसाब में रखा गया है।

बजट अनुमान 2009-10

2009-10 में प्रत्येक के सामने दर्शाए गए बकाया शेष सहित निम्नलिखित बाजार ऋण मोचन के लिए नियत हैं:

(करोड़ रुपए)

1.	6.65% सरकारी स्टॉक, 2009	8886.80
2.	11.99% सरकारी स्टॉक, 2009	13500.00
3.	12.50% ऋण, 2009	4504.74
4.	7% ऋण, 2009	1197.44
5.	भारत सरकार फ्लोटिंग दर बांड 2009	3000.00
6.	12.29% सरकारी स्टॉक, 2010	11500.00
7.	6.72% सरकारी स्टॉक, 2007/2012*	546.81
	जोड़	43135.79
जोड़ें:		
#8.	5.48% सरकारी स्टॉक, 2009	5000.00
#9.	5.87% सरकारी स्टॉक, 2009	5000.00
	कुल जोड़	53135.79

* 2008-09 के लिए मोचन में 546.81 करोड़ रुपए भी शामिल हैं जो 6.72% सरकारी प्रतिभूतियां 2007/2012 के संबंध में हैं (मांग और रखे विकल्प सहित बॉण्ड जो वर्ष 2007 से व्यवहार्य हो गया है)। निवेशक द्वारा प्रयुक्त विक्रय विकल्प के संबंध में वर्ष 2007-08 में 2453.19 करोड़ रुपए की अदायगी पहले ही की जा चुकी है।

विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियां।

बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के तहत जारी निम्नलिखित दिनांकित प्रतिभूति भी 2009-10 में मोचन हेतु देय है, जिसके लिए व्यय की पूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक के पास धारित पृथक एमएसएस नकद शेष से की जाएगी।

(करोड़ रुपए)

1. 6.65% सरकारी स्टॉक, 2009	16000.00
2. 5.48% सरकारी स्टॉक, 2009	17000.00
3. 5.87% सरकारी स्टॉक, 2010	6035.78
कुल जोड़	39035.78

विशेष प्रतिभूतियों का रुपांतरण/पुनःपूँजीकरण बॉण्ड

भारत सरकार ने वर्ष 2003-04 के दौरान विपणनीय प्रतिभूतियों में तदर्थ राजकोषीय हुंडियों के एवज में जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों का रुपांतरण पूरा कर लिया है। प्रतिभूतियों को रुपांतरण कर जारी किए गए विपणनीय प्रतिभूतियों के ब्यौरे अनुबंध 4क में दिए गए हैं।

भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के पुनःपूँजीकरण बॉण्डों का एसएलआर विपणनयोग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने का कार्य भी पूरा किया है (अनुबंध 4ख में ब्यौरा देखें)।

4. अल्पावधि उधार (364/182/91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां):

ये राजकोषीय हुंडियां वित्तीय संस्थाओं, बैंकों आदि को अल्पावधि निवेश अवसर प्रदान करती हैं। इन्हें सरकार के सामान्य नीलामी कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी किया जाता है और अप्रतिस्पर्द्धा बोलियों के लिए विकल्प भी प्रदान करती हैं। 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की अधिसूचित नीलामी राशि वर्ष 2002-2003 से प्रत्येक पंद्रह दिन में 1000 करोड़ रुपए कर दी गई है। 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की साप्ताहिक नीलामी के लिए अधिसूचित राशि वर्ष 2003-04 से 500 करोड़ रुपए कर दी गई है और 2005-06 में प्रारम्भ 182 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों प्रत्येक पन्द्रह दिन में नीलामी हेतु अधिसूचित राशि 500 करोड़ रुपए रही है।

केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा लघु अवधि के नकद अधिशेषों के नियोजन के लिए 14-दिवसीय मध्यवर्ती राजकोषीय हुंडियां भी जारी करती है। 2008-09 के दौरान 14-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों में निवेश राज्य सरकारों के विशाल नकदी शेष के कारण सामान्यतया अधिक रहा है।

5. विदेशी ऋण

बजट 2009-10 में 27080.41 करोड़ रुपए की सकल प्राप्तियों और 11033.84 करोड़ रुपए की पुनर्अदायगी का अनुमान लगाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप, 16046.57 करोड़ रुपए की निवल विदेशी ऋण की प्राप्ति होगी।

विदेशी ऋण से निवल प्राप्तियां सं.अ. 2008-09 में 9603.20 करोड़ रुपए आंकी गयी है।

2008-2009 तथा 2009-10 में विदेशी ऋण की प्राप्तियों और मूलधन की वापसी-अदायगियों के अनुमानों का सारांश नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए)

	बजट 2008-09	संशोधित 2008-09	बजट 2009-10
क. सकल प्राप्तियां	19209.93	19578.35	27080.41
ख. वापसी-अदायगियां	(-) 8220.66	(-) 9975.15	(-) 11033.84
ग. निवल प्राप्तियां:	10989.27	9603.20	16046.57

और ब्यौरे इस दस्तावेज के अनुबंध 2 में दिए गए हैं।

6. (I) राष्ट्रीय लघु बचत निधि

लघु बचत योजनाएं:

इस समय जारी लघु बचत योजनाएं हैं: डाकघर बचत खाता, डाकघर आवधिक जमा (1,2,3 तथा 5 वर्ष), डाकघर आवर्ती जमा, डाकघर मासिक आय खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम), किसान विकास पत्र तथा लोक भविष्य निधि।

लघु बचत योजनाओं को और अधिक आकर्षक और निवेशक अनुकूल बनाने के लिए सरकार ने इस योजनाओं में निम्नलिखित संशोधन किए हैं :-

- डाकघर बचत खाता नियमावली तथा डाकघर समय जमा खाता के अंतर्गत दिनांक 26 जून, 2008 को किसी नेत्रहीन अथवा दूसरी से शारीरिक रूप से विकलांग वयस्क व्यक्ति द्वारा अथवा किसी साक्षर एजेंट के माध्यम से खातों के लेन-देन की अनुमति है।
- डाकघर बचत खाता नियमावली के तहत दिनांक 26 अगस्त, 2008 से एनआरईजी अधिनियम के तहत नियुक्त कामगारों के लिए "शून्य जमा/शून्य शेष" खाता खोलने की अनुमति है।
- डाकघर आवर्ती जमा योजना के तहत दिनांक 26 जून, 2008 से रक्षा सेवा के कर्मिकों के लिए खातों के पुनरुज्जीवन हेतु चूकों की संख्या 4 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है।

राष्ट्रीय लघु बचत निधि:

लघु बचत योजनाओं के अधीन सभी जमाराशियां भारतीय लोक लेखा में दिनांक 1.4.1999 को स्थापित "राष्ट्रीय लघु बचत निधि" (एनएसएसएफ) में जमा की जाती हैं। जमाकर्ताओं द्वारा सभी आहरण इस निधि में जमाराशियों से किए जाते हैं। इस निधि में शेष राशि का विशेष सरकारी प्रतिभूतियों में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्णीत मानदंडों के अनुसार निवेश किया जाता है। 31 मार्च, 1999 को समाप्त विभिन्न लघु बचत योजनाओं के तहत शेष बकाया राशियों की देयता केन्द्र सरकार द्वारा इन्हें विशेष केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ के निवेश के रूप में मान कर वहन किया गया। निवल लघुबचत संग्रहणों का एक हिस्सा वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के दौरान केन्द्र सरकार की विशेष सरकारी प्रतिभूतियों में भी निवेशित किया गया। वर्तमान में, प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल सहित) में लघु बचत योजनाओं के अन्तर्गत सम्पूर्ण निवल संग्रहणों (अभिदाताओं द्वारा जमा राशियों में से आहरणों को घटाकर) को सम्बद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को इसकी विशेष प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में अग्रिम तौर पर दिया जाता है और बकाया, यदि कोई हो, केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। विशेष प्रतिभूतियों के मोचनपर-एनएसएसएफ में प्राप्त राशि को पुनः केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में पुनर्निवेशित किया जाता है और 2007-08 से अन्य लिखतों में मोचन मूल्यों को निवेश करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। राष्ट्रीय लघु बचत निधि (अभिरक्षा तथा निवेश) नियम, 2001 में उपयुक्त संशोधन करके समर्थकारी प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। तदनुसार प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत (वार्षिक रूप से देय) की दर पर ऋण के रूप में 1500 करोड़ रुपए का ऋण निवेश के रूप में 2007-08 में अवसंरचना विकास परियोजनाओं/योजनाओं के वित्तपोषण के लिए भारत अवसंरचना वित्त कम्पनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को दिया गया और इसकी पुनः अदायगी 15 वर्ष की अवधि के बाद आईआईएफसीएल द्वारा एकमुश्त देय होती है।

सरकारी प्रतिभूतियों का ऋणशोधन, निधि की आय है जबकि अभिदाताओं को भुगतान की गयी ब्याज की लागत और लघु बचत योजनाओं के प्रबंधन की लागत, निधि का व्यय है।

एनएसएसएफ को जारी विशेष केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूतियां भारत सरकार के आन्तरिक ऋण का हिस्सा होती हैं।

1 अप्रैल, 2003 से इन विशेष प्रतिभूतियों पर उनके निवल संग्रहणों के हिस्से पर 9.50 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज देय है।

स्रोत और उपयोग:

(i) राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत और उपयोग नीचे दी गई सारणी-I में दर्शाए गए हैं:-

(ii) राष्ट्रीय लघु बचत निधि के विभिन्न संघटकों (अर्थात् एनएसएसएफ की प्राप्तियों, संवितरण, निवेश, आय और व्यय) के बारे में ब्योरा जिसमें वर्ष 2007-08 (अनन्तिम) के वास्तविक आंकड़े, ब.अ. तथा सं.अ. 2008-09 तथा ब.अ. 2009-10 शामिल हैं, उन्हें अनुबंध-8 में सारणीबद्ध किया गया है।

सारणी-I**31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत तथा उपयोग**

(करोड़ रुपए)

विवरण	वास्तविक 2007-2008 (अनन्तिम)	2008-2009 (सं. अ.)	2009-10 (ब. अ.)
क. निधियों के स्रोत			
लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत जमाराशियां			
बचत जमाराशियां			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	347611.58	337819.50	345019.50
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	-9792.08	7200.00	12400.00
बचत प्रमाण-पत्र			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	212702.96	208893.85	212093.85
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	-3809.11	3200.00	4100.00
लोक भविष्य निधि			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	114296.60	126875.22	132975.22
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	12578.62	6100.00	8500.00
कुल जमा राशि	673588.57	690088.57	715088.57
ख. निधियों का उपयोग			
(i) दिनांक 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार बकाया शेष राशियों के प्रति केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	83569.19	73569.19	66195.12
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	-10000.00	-7374.07	-10756.17

(करोड़ रुपए)			
विवरण	वास्तविक 2007-2008 (अंतिम)	2008-2009 (सं. अ.)	2009-10 (ब. अ.)
(ii) दिनांक 1.4.1999 से संग्रहणों के प्रति केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	24735.99	23433.51	22131.03
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	0.00	0.00	2500.00
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	-1302.48	-1302.48	-1302.48
(iii) दिनांक 1.4.1999 से संग्रहणों के प्रति राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	452063.88	457391.92	460518.85
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	12193.76	10500.00	22500.00
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का उन्मोचन	-6865.72	-7373.07	-10756.17
(iv) प्रतिभूतियों के उन्मोचन से प्राप्त राशियों में से केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में पुनर्निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	98296.34	98296.34	108296.34
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	0.00	10000.00	22814.82
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का उन्मोचन	0.00	0.00	0.00
(v) इंडिया इन्फ्रस्ट्रक्चर फाइनेंस के कंपनी लि. को 15 वर्ष के लिए 9 प्रतिशत ऋण (2023)			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक शेष	0.00	1500.00	1500.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	1500.00	0.00	0.00
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	0.00	0.00	0.00
कुल निवेश	654190.96	658641.34	683641.34
संचित अधिशेष आय(-)/व्यय (+) लेखा	29763.62	30607.60	29586.21
नकद शेष	-10366.01	839.63	1861.02
जोड़	673588.57	690088.57	715088.57

(II) सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजनाएं

सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए दो गैर-सांविधिक जमा योजनाएं हैं, अर्थात्-सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना तथा सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जमा योजना, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता था। दिनांक 10 जुलाई, 2004 से इन दोनों स्कीमों के अंतर्गत नई जमा राशियां लेना बंद कर दिया गया है। यह भी अधिसूचित किया गया है कि 13 सितंबर 2004 को अथवा इसके पश्चात तीन वर्ष की परिपक्वता अवधि पूरी होने पर इन स्कीमों के अंतर्गत विद्यमान खातों में जमा राशियों पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इन योजनाओं के अधीन संग्रहणों के बजट अनुमान नीचे सारणी II में दिखाए गए हैं :

सारणी II

(करोड़ रुपए)			
	वास्तविक 2007-2008 (अंतिम)	2008-2009 (सं. अ.)	2009-2010 (ब. अ.)
सकल #	0#	7#	7#
निवल @	(-) 270	(-) 85	(-) 65

यह राशि अभिदाताओं द्वारा आहरित नहीं किए गए तथा उनके खातों में क्रेडिट किए गए ब्याज की राशियों को दर्शाती है।

@ ऋणात्मक निवल संग्रहण का अर्थ योजनाओं को बंद किए जाने के कारण बिना कोई नई जमा राशियों के निवेशकों द्वारा जमा राशियों का आहरण।

7. अन्य प्राप्तियां

(i) **8 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बांड, 2003** की शुरुआत 21 अप्रैल, 2003 से शुरू की गई थी ताकि निवासी नागरिक/पुण्यार्थ संस्थाएं/विश्वविद्यालय आदि बिना किन्हीं उच्चतम मौद्रिक सीमाओं के अपनी बचत का निवेश इन कर योग्य बांडों में कर सकें। अर्धवार्षिक भुगतान योग्य 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज वाले इन बांडों की परिपक्वता अवधि छः वर्ष होगी। संचयी और असंचयी दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। ये बांड अंतरणीय नहीं हैं। ये द्वितीयक बाजार में लेन-देन योग्य भी नहीं हैं। तथापि, 19 अगस्त, 2008 से से ऋण लेने के लिए सहवर्ती प्रतिभूति के रूप में पात्र है।

(ii) **6.5 प्रतिशत बचत (कर योग्य-भिन्न) बांड, 2003** की शुरुआत निवासी नागरिकों को किन्हीं मौद्रिक उच्चतम सीमाओं के बिना कर-मुक्त बांडों में अपनी बचत का निवेश करने में समर्थ बनाने के लिए 24 मार्च, 2003 को की गई थी। इस स्कीम को 9 जुलाई, 2004 को कारोबार समाप्त होने के साथ ही बंद कर दिया गया है। इन बचत बांडों का मोचन किया जाने वाला है और वापसी अदायगी के लिए इनकी परिपक्वता के पश्चात 24 मार्च 2008 से की जाएगी।

सरकार ने यह भी अधिसूचित कर दिया है कि राहत बांडों की सभी श्रृंखलाओं पर पश्च-परिपक्वता ब्याज 1 मार्च, 2003 से बंद कर दिया जाएगा।

(iii) रेलवे प्रारक्षित निधियां:

(करोड़ रुपए)

	बजट 2008-09	संशोधित 2008-09	बजट 2009-10
रेलवे पेंशन निधि			
जमा	9855.07	10678.23	13810.21
नामे	9600.00	12500.00	14000.00
निवल	(+) 255.07	(-) 1821.77	(-) 189.79
रेलवे मूल्यहास प्रारक्षित निधि			
जमा	7291.39	7372.20	7342.25
नामे	8500.00	8033.00	7567.00
निवल	(-) 1208.61	(-) 660.80	(-) 224.75
रेलवे विकास निधि			
जमा	1148.81	1635.12	125.31
नामे	2840.00	2910.00	1798.00
निवल	(-) 1691.19	(-) 1274.88	(-) 1672.69
रेलवे पूंजीगत निधि			
जमा	11591.83	5565.89	6104.77
नामे	9200.00	7956.00	5750.00
निवल	(+) 2391.83	(-) 2390.11	(+) 354.77
रेलवे सुरक्षा निधि			
जमा	776.47	776.47	1202.57
नामे	1300.00	1299.00	1700.00
निवल	(-) 523.53	(-) 522.53	(-) 497.43
जोड़	(-) 776.43	(-) 6670.09	(-) 2229.89

(क) रेलवे पेंशन निधि: रेलवे कर्मचारियों के पेंशन प्रभारों को पूरा करने के लिए अभिप्रेत है। हर साल इस निधि में उपयुक्त रकम अन्तर्गत की जाती है और यह रकम राजस्व और पूंजी व्यय शीर्षों में नामे डाल दी जाती है। पेंशन संबंधी प्रभारों को शुरू में राजस्व शीर्ष के भाग के रूप में पूरा किया जाता है और बाद में निधि से उसकी भरपाई की जाती है। वर्ष 2008-2009 में निधि में 10678.23 करोड़ रुपए की रकम जमा होने का अनुमान है जिसमें निधि की बकाया रकमों पर सामान्य राजस्व द्वारा देय ब्याज के रूप में 78.23 करोड़ रुपए शामिल था। निधि से 12500 करोड़ रुपए निकाले जाने का अनुमान है। वर्ष 2009-10 के दौरान इस निधि में 10.21 करोड़ रुपए के ब्याज सहित 13810.217 करोड़ रुपए की रकम जमा होने के अनुमान हैं। इसकी तुलना में 14000 करोड़ रुपए की रकम की निकासी का अनुमान है।

(ख) रेलवे मूल्यहास प्रारक्षित निधि: इस निधि में सुधारात्मक कार्यों सहित परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन और नवीकरण की व्यवस्था की जाती है। अनुमान है कि इस निधि में 2008-2009 में सामान्य राजस्व से 272.20 करोड़ रुपए के ब्याज की अदायगी सहित अंशदान सहित अंशदान 7372.20 करोड़ रुपए का होगा। 2008-2009 में 8033.00 करोड़ रुपए के बहिर्गमन का अनुमान है। 2008-2009 के संबंध में क्रेडिट 7342.25 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें ब्याज से संबंधित 242.25 करोड़ रुपए शामिल है। निकासी 7567.00 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ग) रेलवे विकास निधि: रेलवे विकास निधि की स्थापना 1950 में की गई थी जिसका उद्देश्य यात्रियों और रेलों का उपयोग करने वाले लोगों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए किए जाने वाले खर्च, श्रमिक कल्याण कार्य संबंधी खर्च, अलाभकारी सुधार एवं सुरक्षा कार्यों का खर्च पूरा करना है। इस निधि के लिए धन की व्यवस्था रेलों के आधिक्य, यदि कोई हो, के उस भाग के विनियोग से की जाती है, जिसका सरकार द्वारा निर्धारण किया जाता है और जिसकी स्वीकृति संसद द्वारा दी जाती है। यदि रेलवे आधिक्य के एक भाग की रकम निधि में अंतर्गत करने के बाद इस निधि में इकठ्ठी होने वाली रकम उन कार्यों के खर्चों को पूरा करने के लिए काफी न हो जिसका खर्च इस निधि से पूरा किया जाता है, तो निधि में जमा करने के लिए सामान्य राजस्व निधि से ब्याज पर ऋण लिए जाते हैं। वर्ष 2008-2009 के दौरान रेलवे विकास निधि को 1635.12 करोड़ रुपए के क्रेडिट का अनुमान लगाया गया है, जिसमें 1391.00 करोड़ रुपए अधिक हुई अनुमानित राशि में से और 244.12 करोड़ रुपए निधि में शेष राशि पर सामान्य राजस्व द्वारा देय ब्याज के रूप में होंगे। वर्ष 2008-2009 के दौरान निधि में से निकाली गई राशियां अनुमानतः 2910.00 करोड़ रुपए हैं। 2009-2010 के दौरान निधि में क्रेडिट 125.31 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जो पूर्णतः निधि में शेष पर देय ब्याज से निर्मित है। वर्ष 2009-2010 के दौरान 1798.00 करोड़ रुपए की निकासियों का अनुमान लगाया गया है, जो निधि को प्रभार्य कार्यों के लिए होंगी।

(घ) रेलवे पूंजी निधि: को 1992-93 में इसलिए सृजन किया गया था कि रेलवे के आधारभूत ढांचे का निर्माण करने के लिए रेलवे आन्तरिक रूप से सृजित संसाधनों के एक भाग का उपयोग कर सके। पूंजीगत निधि का वित्तपोषण करने में रेलवे राजस्वों के कम पड़ने की स्थिति में निधि में क्रेडिट करने हेतु सामान्य राजस्व से सब्याज ऋण लिया जाता है। वर्ष 2008-2009 के दौरान निधि में जमा राशि 601.33 करोड़ रुपये के ब्याज सहित 5565.89 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जबकि निधि से 7956.00 करोड़ रुपए के बहिर्गमन का अनुमान है। 2009-10 में निधि में निधि शेष पर देय 532.51 करोड़ रुपए के ब्याज सहित 6104.77 करोड़ रुपए की राशि जमा होगी, जबकि इस वर्ष में आहरण की राशि के 5750.00 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ङ) रेलवे सुरक्षा निधि: इसका सृजन व्यक्ति की तैनाती रहित लेवल क्रॉसिंग के परिवर्तन और अत्यधिक यातायात वाले लेवल क्रॉसिंगों में रेलवे पुलों के निर्माण से संबंधित सुरक्षा कार्यों के वित्तपोषण के लिये दिनांक 1.4.2001 से किया गया है। इस निधि का वित्तपोषण मुख्यतया केन्द्रीय सड़क निधि से सरकार द्वारा निधियों के अंतरण और सामान्य राजस्वों को भुगतान किये जा रहे लाभांश से रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए इस समय किये जा रहे अंशदान से किया जाएगा। यह बिना ब्याज वाली निधि है। इस निधि में 2008-2009 के दौरान जमा राशि 776.47 करोड़ रुपए रखी गई है। जबकि निधि से 1299.00 करोड़ रुपए के आहरण किये जाने का अनुमान है। 2009-2010 के दौरान 1202.57 करोड़ रुपए का क्रेडिट तथा 1700.00 करोड़ रुपए के आहरण का अनुमान है।

(iv) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं

(क) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में भारत के अभिदान/अंशदान के लिए जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों तथा (ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ हुए कतिपय लेनदेन, जिनमें विशेष आहरण अधिकारों का उपयोग अंतर्निहित है, संबंधी अनुमान निम्न सारणी में दिए गए हैं:

(करोड़ रुपए)

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान	बजट 2008-09			संशोधित 2008-09			बजट 2009-10		
	प्राप्तियां	भुगतान	निवल	प्राप्तियां	भुगतान	निवल	प्राप्तियां	भुगतान	निवल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	...	0.01	(-) 0.01	1077.49	9846.70	(-)8769.21	0.01	0.01	...
2. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक	...	113.15	(-)113.15	...	125.15	(-) 125.15	...	55.12	(-)55.12
3. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	...	...	...	3.88	...	3.88	0.01	...	0.01
4. एशियाई विकास बैंक	...	15.00	(-)15.00	...	14.03	(-) 14.03	...	16.90	(-)16.90
5. अफ्रीकी विकास निधि और बैंक	19.76	6.62	13.14	14.30	7.95	6.35	14.51	8.98	5.53
6. बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण (मीगा)	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	19.76	134.78	(-) 115.02	1095.67	9993.83	(-)8898.16	14.53	81.01	(-)66.48
एस.डी.आर.	163.47	179.64	(-) 16.17	141.76	1152.47	(-) 1010.71	131.53	159.38	(-)27.85

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ): कोष के करार-अनुच्छेद के 'मूल्य अनुस्क्षण' उपबंध के अन्तर्गत सदस्यों द्वारा सामान्य संसाधन खाते में धारित मुद्राओं के मूल्य को विशेष आहरण अधिकार (एस.डी.आर.) के रूप में बनाए रखना जरूरी है और इस उपबन्ध के अनुसार कोष में किसी सदस्य की मुद्रा की धारिता में उस समय समायोजन किया जाता है जब किसी प्रचालन में उस मुद्रा का प्रयोग हो या कोष तथा दूसरे सदस्य के बीच लेन-देन हो अथवा जब कोष ऐसा करने का निर्णय करे या सदस्य ऐसा करने का अनुरोध करे। आईएमएफ ने भारत के साथ अपनी भारतीय रुपए की धारिताओं को एक्सडीआर 0.0152211 प्रति भारतीय रुपए की दर पर पुनर्मूल्यन किया और इस पुनर्मूल्यन के परिणामस्वरूप स.अ. चरण में 1077.49 करोड़ रुपए का प्रावधान तथा ब.अ. 2009-10 में 0.01 करोड़ रुपए रखे गए।

वर्ष 2008-09 के दौरान पुनःखरीद लेनदेनों के कारण 4192.42 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। आईएमएफ खाता संख्या 1 में रुपया शेषों के आहरण द्वारा कमी से आवश्यक हुए मुद्रा विनिमय अंतरों और भारतीय रिजर्व बैंक के पास आईएमएफ खाता संख्या 1 की पुनःपूर्ति के लिए रुपया प्रतिभूतियों को भुनाना पड़ेगा। 2008-09 के संशोधित अनुमान में इस प्रयोजन हेतु 4192.42 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करायी गई है।

विशेष आहरण अधिकार (एस.डी.आर.): भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एस.डी.आर आवंटन का भागीदार है। 1981 से भारत को आवंटित निवल संचित एसडीआर 681.2 मिलियन बने रहे क्योंकि एस.डी.आर. का कोई नया आवंटन नहीं किया गया। एस.डी.आर. का उपयोग अतिरिक्त अभिदान की अदायगी सहित प्रभारों की अदायगी और पुनः क्रय संबंधी देनदारियों को पूरा करने के लिए किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रत्येक धारक को उसके द्वारा धारित एस.डी.आर. पर ब्याज की अदायगी करता है और प्रत्येक भागीदार के निवल संचित आवंटन पर उसी दर से प्रभार लगाता है। यह सभी भागीदारों के निवल संचित आवंटनों पर उनके एस.डी.आर. खाते के प्रशासन के संबंध में निर्धारण प्रभार भी लगाता है। प्रत्येक वर्ष के फरवरी, मई, अगस्त और नवम्बर के आरम्भ में निवल ब्याज अथवा निवल प्रभारों को व्यक्तिगत धारक खाते में जमा करके अथवा नामे डाल कर निपटाया जाता है।

भारत ने उसके द्वारा ली गई विभिन्न सुविधाओं के एवज में पुनःखरीद पहले ही पूरी कर ली है। अतएव, वर्ष 2008-2009 के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वर्ष 2009-2010 के बजट अनुमान में किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

खरीदारी तथा पुनः खरीदारी संबंधी लेन-देनों को लोक खाते में "विशेष आहरण अधिकार" नामक शीर्षक में नाम/जमा के रूप में दिखाया जाता है। विशेष आहरण अधिकारों के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जो अदायगियां की जाती हैं, उनको इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिपक्षी नामे डालकर सम्बद्ध व्यय शीर्षों में नामे डाल दिया जाता है। इसी प्रकार, विशेष आहरण अधिकारों के रूप में जो धनराशियां वसूल की जाती हैं उनको भी इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिपक्षी उधार पर नामे डालकर सम्बद्ध प्राप्ति शीर्षों में जमा के रूप में दिखा दिया जाता है। विशेष आहरण अधिकार नामक शीर्ष में संशोधित अनुमान 2008-2009 में कुल जमा की गई राशि 4291.19 करोड़ रुपए थी, जिसमें से एस.डी.आर. लेखे को 141.76 रुपए प्रतिपक्षी क्रेडिट किए जाएंगे। विशेष आहरण अधिकारों के नामे कुल राशि 2008-2009 के संशोधित अनुमान में 1152.47 करोड़ रुपए बैठती थी जिसमें से 1152.47 करोड़ रुपए की राशि एस.डी.आर. लेखे के प्रतिपक्षी रूप में जमा की जाएगी। वर्ष 2009-10 के दौरान 131.54 करोड़ रुपए का क्रेडिट और 159.38 करोड़ रुपए का डेबिट होगा।

अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई.बी.आर.डी.): मूल्य संबंधी अनुरक्षण (एमओवी) देयताओं के विशेष डालर मूल्यवर्ग की प्रतिभूतियों में अंतरित होने के साथ वर्ष 2009-2010 के बजट अनुमान में किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

आई.बी.आर.डी. द्वारा प्रतिभूतियों के नकदीकरण के लिए बजट अनुमान, 2008-2009 और संशोधित अनुमान 2008-2009 में 113.15 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल थी। ब.अ. 2009-2010 में 55.12 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा गया है।

अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.): आईडीए-15 पुनःपूर्ति के अनुमोदन के परिप्रेक्ष्य में आईडीए को भारत का अंशदान संशोधित अनुमान 2008-09 में 3.88 करोड़ रुपए अनुमानित है, बजट अनुमान 2009-10 का बजट अनुमान 0.01 करोड़ रुपए रखा गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि: भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अभिकरण है, के आरंभिक सदस्यों में से एक है। भारत ने दिसम्बर 2007 तक अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के संसाधनों में 73 मिलियन डालर का अंशदान किया है। यह भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आईएफएडी के पक्ष में धारित चौथी पुनःपूर्ति तक अपरक्राम्य, निर्व्याज रुपया प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए किया जाता है। पांचवें पुनःपूर्ति से आगे भारत सरकार ने नकद में भुगतान किया है।

एशियाई विकास बैंक: एशियाई विकास बैंक रुपया प्रतिभूतियों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखता है, जिनको समय-समय पर भारत में रुपयों में किए गए खर्च को पूरा करने के लिए भुनाया जा सकता है। ब.अ. 2008-2009, संशोधित अनुमान 2008-09 में 15.00 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था बजट अनुमान 2009-2010 के लिए क्रमशः 14.03 करोड़ रुपए और 16.90 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

अफ्रीकी विकास निधि और अफ्रीकी विकास बैंक: की स्थापना मुख्यतया इस उद्देश्य से की गई थी कि उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता देकर इस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से और विकास किया जा सके। अफ्रीकी देशों के साथ घनिष्ठ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत निधि और बैंक दोनों संस्थाओं में शामिल हो गया है।

एएफडीबी के मामले में, अफ्रीकी विकास बैंक के पूंजी स्टॉक की पांचवी सामान्य पूंजी वृद्धि (जीसीआई-V) के अंतर्गत भारत का अभिदान 13,51,112 अमरीकी डालर बैठता है जिसका भुगतान 1,68,889 अमरीकी डालर प्रतिवर्ष की आठ समान किश्तों में किया जाना था। जीसीआई-V के लिए पहली किश्त सितम्बर, 2000 में अदा की गई थी और 8वीं किश्त का भुगतान 2007 में किया गया था।

अफ्रीकी विकास निधि के मामले में, एडीएफ-X में भारत का अंशदान, तीसरी और अन्तिम किस्त का भुगतान मई, 2007 में किया गया था। अब अफ्रीकी विकास निधि की एडीएफ-XI पुनःपूर्ति आरंभ हो चुकी है और एडीएफ-XI में भारत का अंशदान 40.17 करोड़ रुपए बैठता है जो 2008 से 2010 के दौरान 13.39 करोड़ रुपए प्रत्येक की तीन समान वार्षिक किस्तों में देय होगा। इसके अतिरिक्त वर्ष 2008-09 के दौरान बहुपक्षीय ऋण राहत अभिक्रम को 0.90 करोड़ रुपए की राशि का अंशदान किए जाने की आवश्यकता है जबकि 2009-10 के दौरान 1.12 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। तथापि, स.अ. 2008-09 में 14.30 करोड़ और ब.अ. 2009-10 में 14.51 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण (मीगा): बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण (मीगा) के पक्ष में सृजित प्रतिभूति के नकदीकरण हेतु 2008-09 और 2009-10 में कोई भुगतान परिकल्पित नहीं है।

(v) अन्य मदें:

इन अनुमानों में, औद्योगिक और कोयला खान श्रमिकों के लिये परिवार पेंशन और जीवन बीमा निधि, डाक बीमा और जीवन वार्षिकी निधि, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा निधियां, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उपक्रमों की जमा राशियां, सुरक्षा जमा राशियां, न्यायालय जमा राशियां आदि शामिल हैं।